

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141 / 2017.....

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,
नालान्दा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, सीवान, पूर्णिया,
कटिहार, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), सुपौल, दरभंगा, गया, पटना, सहरसा, मधेपुरा, अररिया,
किशनगंज, भोजपुर एवं जमुई
प्राचार्य,
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया।
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार पटना

पटना, दिनांक :

विषय :- मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 -
सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का
पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
आपके अधीनस्थ कार्यालय को उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार कुल
11,10,92,400/= (ग्यारह करोड़ दस लाख बानवें हजार चार सौ) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत किया
जाता है।

2.. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश
संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत
किया जाता है।

3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु
शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड **40 - 2029001020101** अनिवार्य
रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे
ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. यह आवंटन आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय होने वाली वेतनादि मद एवं अन्य मद
के लिए निर्गत किया जाता है।

6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पौचवी तारीख तक एवं
त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय
पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा
सकें।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये
तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार
भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इसकी सूचना महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- अनुलग्नक : यथोक्त।**

विश्वासभाजन

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक

निबंधित

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिचाई भवन/विश्वेश्वरैया भवन पटना, नालन्दा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, सीवान, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), सुपौल, दरभंगा, गया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, भोजपुर एवं जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016.....

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक 24/5/2017

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-129/2016...03

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी०पी०एम०यू० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में लिखि का आवंटन :-

क्र०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01	01 03	01 04	01 05	01 08	02 01	13 01	13 03	13 04	13 10	14 01	28 02	कुल योग	
		वेतन	जीवन बीमा मत्ता	मकान किराया मत्ता	परिवहन मत्ता	शिक्षिता मत्ता	मजदूरी	कार्यालय खर्च	दुरुभाष	विद्युत प्रभार	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	किराया महसूल एवं कर	सविदा सेवारत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	नालंदा	1722000	2050000	248000	--	19200	60000	100000	5000	10000	--	50000	4500000	8762200	
2	सारन	1050000	1250000	150000	--	15600	210000	25000	--	--	--	--	3000000	5700600	
3	भागलपुर	1344000	1600000	192000	--	19200	--	100000	5000	10000	--	--	200000	3470200	
4	मुंगेर	758000	900000	108000	--	7200	500000	100000	5000	10000	200000	--	1200000	3786200	
5	शेखपुरा	1890000	2250000	270000	--	21600	180000	30000	--	--	200000	--	700000	5541600	
6	बेगूसराय	6300000	7500000	900000	--	78000	800000	100000	5000	10000	200000	--	400000	16293000	
7	लखीसराय	3948000	4700000	564000	--	44400	--	100000	5000	--	200000	--	1000000	10561400	
8	खगड़िया	3528000	4200000	504000	--	45600	--	200000	5000	10000	200000	--	1500000	10192800	
9	सिवान	462000	550000	504000	--	7200	--	10000	5000	--	--	--	100000	1638200	
10	पूर्णिया	1176000	1400000	168000	--	18000	--	10000	--	--	--	--	400000	3172000	
11	कटिहार	966000	1150000	138000	--	10800	500000	100000	--	--	--	--	500000	3364800	
12	पूर्वी बम्पारण	21000	25000	3000	--	3600	--	10000	5000	--	--	--	100000	167600	
13	सुपौल	2562000	3050000	366000	--	20400	100000	50000	5000	--	200000	--	150000	6503400	
14	दरभंगा	714000	850000	102000	--	7200	--	20000	--	--	--	5000	--	1698200	
15	नवा	840000	1000000	120000	--	8400	--	60000	--	10000	--	--	--	2038400	
16	पटना	3360000	4000000	480000	72000	21600	--	20000	5000	100000	--	500000	100000	8658600	
17	सहरसा	2688000	3200000	384000	--	25200	200000	50000	5000	10000	200000	--	300000	7062200	
18	मधेपुरा	2310000	2750000	330000	--	18000	20000	50000	5000	--	200000	--	150000	5833000	
19	अररिया	672000	800000	96000	--	8400	20000	20000	--	--	--	--	100000	1716400	
20	किशनगंज	758000	900000	108000	--	9600	20000	100000	5000	--	--	--	100000	1998600	
21	मोजपुर	550000	748000	20000	--	7200	--	--	--	--	--	5000	--	1330200	
22	जमुई	200000	272000	20000	--	2400	--	5000	--	--	--	--	100000	599400	
23	राजस्व (कमी) प्राधिकरण संस्थान, बोधनवा	210000	250000	30000	--	3600	--	5000	--	--	--	--	--	498600	
24	सहायक निदेशक, सू-अभिलेख एवं परिभाषा, निदेशालय	--	--	--	--	--	100000	100000	5000	300000	--	--	--	505000	
कुल योग		38025000	45395000	5803000	72000	422400	2710000	1368000	70000	470000	1600000	580800	14600000	111092400	

(म्यारह करोड़ दस लाख नानव हजार चार सौ रुपये मात्र)

(वीरेंद्र कुमार मिश्र),
निदेशक

सू-अभिलेख एवं परिभाषा,
बिहार, पटना